# स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

## प्रेस नोट संख्या 76, दिनांक 06–03–2025

**उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा–2025 में प्रधानाचार्या सहित नकल कराने वाले गिरोह के 06 सदस्य जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र गम्भीरपुर से गिरफ्तार।**

दिनांकः 06–03–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा–2025 में प्रधानाचार्या सहित नकल कराने वाले गिरोह के 06 सदस्य जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र गम्भीरपुर से गिरफ्तारकरने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः**

1– श्रीमती बबिता तिवारी, प्रधानाचार्या पं0 कामता प्रसाद इण्टर कॉलेज, मुडहर ठेकमा थाना गम्भीरपुर। जनपद आजमगढ।(प्रधानाचार्या)
2– नवनीत राय पुत्र निखलेश राय निवासी भैंसकुर थाना बरदह जनपद आजमगढ। (सॉल्वर)
3– राधेश्याम पुत्र रामप्रकाश सरोज निवासी उत्तर गांवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ। (सॉल्वर)
4– शीतल तिवारी पुत्री प्रमोद तिवारी निवासी मुडहर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ।(सॉल्वर)
5– निधि पुत्री रविन्द्र प्रसाद निवासी मेहरो थाना देवगांव जनपद आजमगढ। (सॉल्वर)
6– धर्मलेश सरोज पुत्र दिलराम सरोज निवासी मुडहर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ। (जनसेवा केन्द्र संचालक)

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक–**

पं0 कामता प्रसाद इण्टर कॉलेज, मुडहर ठेकमा थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़। दिनांक 06–03–2025

**बरामदगीः–**

1– 03 अदद मोबाइल फोन।
2– 05 अदद प्रवेश पत्र।
3– 04 अदद कूटरचित आधार कार्ड।
4– 06 अदद इण्टरमीडिएट भौतिक विज्ञान का प्रश्नपत्र।
5– 07 अदद परीक्षा कापी।

उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदो में दिनांक 24–02–2025 से प्रारम्भ हुयी बोर्ड परीक्षाओं मे अवैध वसूली के माध्यम से सामूहिक नकल कराने वाले नकल माफियाओं पर प्रभावी कार्यवाही करने के उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना सकंलन एवं कार्यवाही प्रचलित थी। इसी क्रम में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा भी अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 06–03–2025 को निरीक्षक पुनीत परिहार एवं निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ टीम वाराणसी जनपद आजमगढ़ में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि आज दिनांक 06–03–2025 द्वितीय पाली में इण्टरमीडिएट के भौतिक विज्ञान की परीक्षा है। उक्त परीक्षा में पं0 कामता प्रसाद इण्टर कॉलेज, मुडहर ठेकमा थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ में प्रधानाचार्या द्वारा परीक्षा कक्ष में कुछ परीक्षार्थियों के स्थान पर साल्वरों को बैठाकर कापी लिखवायी जा रही है, जिसके लिये छात्रों से भारी धनराशि वसूली गयी है।

प्राप्त सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा श्री उपेन्द्र कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद आजमगढ, श्री हरिशंकर दूबे सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं श्री बसंतलाल, थानाध्यक्ष गम्भीरपुर जनपद आजमगढ को साथ लेकर उक्त विद्यालय में सम्बन्धित परीक्षा कक्षों में चेकिंग की गयी तो उपरोक्त सॉल्वरों को दूसरे परीक्षार्थियों के स्थान पर बैठकर कापी लिखते हुये पाया गया, जिस पर उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर पं0 कामता प्रसाद इण्टर कॉलेज, मुडहर ठेकमा थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ की प्रधानाचार्या एवं परीक्षार्थियों के आधार कार्ड के फोटो के स्थान पर सॉल्वरों का फोटो लगाकर कूटरचित आधार कार्ड तैयार करने वाले जनसेवा केन्द्र संचालक धर्मलेश सरोज उक्त को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 24–02–2025 से यू0पी0 बोर्ड के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा प्रारम्भ है। पं0 कामता प्रसाद इण्टर कॉलेज, मुडहर ठेकमा, गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ के प्रबंधक विजय तिवारी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती बबिता तिवारी को उक्त कालेज का प्रधानाचार्य बनाया गया है। इनके द्वारा अपने विद्यालय में नकल करवायी जा रही थी। परीक्षा केन्द्र के अन्दर कक्ष में सॉल्वर के माध्यम से कापी लिखवाने का प्रति परीक्षार्थी 20 हजार रूपये एवं परीक्षा केन्द्र के बाहर कापी लिखवाने का प्रति परीक्षार्थी 50 हजार रूपये संबंधित परीक्षार्थियों से वसूला गया था। इस प्रकार इन लोगों द्वारा लाखों रूपये वसूला गया है। इनके द्वारा जनसेवा संचालक धर्मलेश सरोज को भी अपने योजना में शामिल कर लिया गया था। धर्मलेश सरोज द्वारा अपने जनसेवा केन्द्र पर संबंधित परीक्षार्थियों के आधार कार्ड में उनके फोटो के स्थान पर सॉल्वरों के फोटो को लगाकर नया आधार कार्ड बना दिया गया था। परीक्षार्थी अनिल कुमार पुत्र संतलाल निवासी भैंसकुर थाना बरदह जनपद आजमगढ डुप्लीकेट कापी लेकर अपने परीक्षा कक्ष में बैठा था और उसकी कापी परीक्षा केन्द्र से लगभग 100 मीटर दूर राजू सरोज एवं संजय सरोज पुत्रगण महेन्द्र सरोज निवासी मुडहर ठेकमा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ के घर पर सॉल्वर से लिखवायी जा रही थी। विशाल राय उर्फ शोले एवं निलेश तिवारी उर्फ छोटू स्कूल से कापी बाहर ले जाकर सॉल्वर के माध्यम से लिखवाते थे और लिखवाने के बाद कापी स्कूल में जमा कराते थे।

**उल्लेखनीय है कि उक्त इण्टर कॉलेज का प्रबंधक विजय तिवारी थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ का रजिस्टर्ड हिस्ट्रीशीटर है और इसके कई स्कूल/कॉलेज है। प्रबन्धक विजय तिवारी के एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।**

इस सम्बन्ध में थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ में मु0अ0सं0 71/25 धारा 318 (4),338, 336 (3) 340 (2 )बीएनएस व 8,9,13 (5)उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक 2024 का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।